

जिला सवाई माधोपुर

मंगलवार

दिनांक :- 10.10.2017

शांति भंग करने के 07 आरोपी गिरफ्तार :-

लक्ष्मण सिंह हैड कानि० थाना कोतवाली ने श्री राजू लाल मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना जाति मीना उम्र 25 साल निवासी धमूण खुद थाना कोतवाली स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मोहनसिंह स०उ०नि० थाना मानटाउन ने 01- श्री जीतराज पुत्र श्री रामधन जाति मीना उम्र 25 साल नि० मैनपुरा थाना सूरवाल स०मा० 02- श्री दीपक पुत्र मोजीराम जाति मीना उम्र 19 साल नि० भैसखेडा थाना सूरवाल स०मा० 03. श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत उम्र 22 साल नि० भैसावता थाना सिंघाना जिला झुन्झुनू 04. श्री सुनिल पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट उम्र 27 साल नि० जाकसी थाना विरणा जिला पानीपत (हरियाणा) 05. श्री अनवार पुत्र सागिर जाति मुसलमान उम्र 26 साल नि० फलसावटा थाना मलारना डूंगर स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हरिशंकर हैड कानि० महिला थाना ने अजय पुत्र कैलाश जाति बैरवा उम्र 25 निवासी गोपालपुरा की ढाणी रेलवे कालोनी थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाने 03 आरोपी गिरफ्तार:-

रामावतार स०उ०नि० थाना मानटाउन स०मा० ने 01. श्री मनोज पुत्र गंगाधर जाति बैरवा उम्र 22 साल नि० विज्ञान नगर थाना कोतवाली स०मा० 02. श्री रामभजन पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना उम्र 50 साल नि० कपूरपुरा थाना अलीगढ जिला टोंक को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार मोहन सिंह स०उ०नि० थाना मानटाउन स०मा० ने श्री नरेश कुमार पुत्र श्रीलाल मीना उम्र 27 साल नि० मलारना चौड थाना मलारना डूंगर स०मा० को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 02 आरोपी गिरफ्तार:-

रामावतार हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री अंगद पुत्र रामसहाय जाति मीना उम्र 43 साल नि० भूखा थाना मलारना डूंगर स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार विनोद कुमार उप निरीक्षक थाना रवोजना डूंगर ने धारा सिंह पुत्र रामनिवास जाति मीणा उम्र 30 साल नि० शेरसिंहपुरा थाना चौथ का बरबाडा को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

सट्टे की खाईवाली करते हुये आरोपी गिरफ्तार :-

मुकेश कुमार स०उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री तुलसीराम मीणा पुत्र श्री रामबिलास जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी रामडी थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को गणेश मन्दिर के पीछे बजरिया से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची, बॉलपेन मय एक मोवाइल के व 1010 रूपयें नकद के साथ सट्टे की खाईवाली करत हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 346/17 दर्ज किया गया।

दर्ज मुकदमात का 03 आरोपी गिरफ्तार :-

मदनलाल पु०नि० थानाधिकारी महिला थाना ने दर्ज मुकदमात का आरोपी सत्यनारायण पुत्र श्री छोटू लाल उम्र 24 साल जाति कुमावत निवासी लक्ष्मीपुरा थाना सरवाड जिला अजमेर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि श्री सत्यनारायण पुत्री श्री मोहन लाल जाति कुमावत निवासी डूंगरपाडा शहर स०मा० ने दिनांक 28.10.16 को मु०न०:-75/2017 धारा 498a,406 ताहि में महिला थाना पर दहैज प्रताडित करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी

